न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 2018RAA,Jodhpur/223RTA/096

मूलसिंह पुत्र पाबुदानसिंह राजपूत
निवासी कोलू निम्बावता (राठौडा)
तहसील देचू, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

न

म

1. श्रीमती इन्द्राकंवर पत्नी हरीसिंह राजपूत
2. भोमसिंह पुत्र जोगसिंह राजपूत
3. नारायणसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत

निवासीगण कोलू निम्बावता (राठौडा)
तहसील देचू, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर शेरगढ दिनांक 17 जुलाई 2018 राजस्व वाद संख्या 15/2018 इन्द्राकंवर बनाम मूलसिंह इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या एक एवं दो
श्री भूपतसिंह जोधा अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 24 अक्तूबर, 2019

न्यायालय सहायक कलेक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2018 इन्द्राकंवर बनाम मूलसिंह आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 17 जुलाई 2018 के खिलाफ अपीलाण्ट-प्रतिवादी ने राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 30 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 92ए के तहत एक राजस्व वाद ग्राम कोलू निम्बावता तहसील फलोदी हाल तहसील देचू स्थित आराजी खसरा संख्या 683 रकबा 29 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 710 रकबा 314 बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 343 बीघा 19 बिस्वा बारानी दोयम वक्त भू-प्रबंध भूरसिंह धूडसिंह पिसरान सदीतानसिंह 2/3 हिस्सा व मु. केशरकंवर पत्नी धोकलसिंह 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना, सहखातेदार धूडसिंह के 3 पुत्र जोगसिंह, हरिसिंह व पाबूदानसिंह होना, इनमें से धूडसिंह के जीवनकाल में ही हरिसिंह का देहान्त हो जाना तथा हरिसिंह की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारिणी वादिनी-रेस्पो. संख्या एक इन्द्राकंवर होने के बावजूद धूडसिंह के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात में उसके हिस्से की भूमि धूडसिंह के जीवित रहे दो पुत्रों जोगसिंह व पाबूदानसिंह के नाम दर्ज कर दिया जाना जाहिर करते हुए वादग्रस्त आराजियात के कुल 343 बीघा 19 बिस्वा रकबे में अपने श्वसुर धूडसिंह के 1/3 हिस्से में अपना 1/3 हिस्सा विरासत के आधार पर कानूनन निहित होना जाहिर किया। साथ ही यह भी जाहिर किया कि मु. केशरकंवर के पति धोकलसिंह एवं वादिनी के ससुर धूडसिंह परस्पर भाई थे, मु. केशरकंवर का देहान्त हुआ, तब उनका कोई प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं होने के कारण उनके हिस्से की भूमि उनके देवर अर्थात वादिनी-रेस्पो. संख्या एक के ससुर धूडसिंह व भूरसिंह के वारिसान को विरासत में मिला, इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात में धूडसिंह का ½ हिस्सा तथा बकाया ½ हिस्सा भूरसिंह के वारिसान का हुआ, वादिनी-रेस्पो. का विधिवत वादग्रस्त आराजियात में

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपने ससुर के ½ हिस्से का ⅓ हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात का 1/6 हिस्सा बनता है, मगर वादिनी के ससुर धूडसिंह का देहान्त होने पर वादिनी-रेस्पो. संख्या एक के हिस्से की भूमि भी धूडसिंह के अन्य वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गयी, जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में से अपने हक-हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया गया है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा पेश किया जाकर वादिनी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा वाद का खण्डन किया गया। प्रतिवादी संख्या दो की ओर से दावा स्वीकार किये जाने की स्थिति में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। प्रतिवादी संख्या तीन के खिलाफ वादिनी ने दावा प्रत्याहरित कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाब के आधार पर प्ररुण में तनकियात कायम की गयी। उभय पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवाद विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री उक्त दावा दिनांक 17 जुलाई, 2018 को स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी-अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट्स की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम एक सीपीसी पेश किया, जो स्वीकार हो गया, जिसके खिलाफ प्रतिवादी-पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की ओर से प्रस्तुत रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल में खारिज हो गयी, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रिवीजन में पारित आदेश के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट-पेटीशन विचाराधीन है। अपीलाण्ट्स की ओर विद्वान अधिवक्ता ने यह भी जाहिर किया कि मौके पर वादिनी-रेस्पो. संख्या एक का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादिनी के ससुर के जीवनकाल में ही वादिनी के पति का देहान्त हो गया था, और पिता के जीवनकाल में पुत्र की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पुत्र के उत्तराधिकारी हकदार नहीं रहते है। दिनांक 2 फरवरी 2018 की आदेशिका अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य हेतु मुकर्रर किया गया, इसके वाद प्रतिवादीगण की ओर से मामले में सीपीसी के आदेश एक नियम 9 तथा आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थनापत्र पेश किये गये, जिनके संबंध में कार्यवाही चली, दिनांक 3 अप्रेल 2018 को उक्त प्रार्थनापत्रों बाबत बहस समायत की जाकर निर्णय सुरक्षित रखते हुए पुनः साक्ष्य प्रतिवादी हेतु मिसल में तारीख-पेशी 27 अप्रेल 2018 (माह में काटछांट है) मुकर्रर की गयी, और 27 अप्रेल 2018 की आदेशिका में प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, वर्णित किया गया है, जबकि वकील प्रतिवादी के हस्ताक्षर हाशिए में इस आशय के है ही नहीं। इसी आदेशिका में प्रकरण वास्ते बहस पेश हो, लिखा गया। मगर आगामी तारीख पेशी की कोई दिनांक ही नहीं दी गयी। इसके बाद प्रकरण में बिना तारीख की आदेशिका रबर-स्टाम्प की अंकित है, जिसके अनुसार मामला नवसृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ को अंतरित किया गया। नवसृजित न्यायालय में आदेशिका 3 मई 2018 की रबर-स्टाम्प से अंकित है, जिसमें पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने के निर्देश देते हुए आगे तारीख-पेशी 17 मई 2018 मुकर्रर की गयी। मगर इसके बाद 30 अप्रेल 2018 की आदेशिका रबर-स्टाम्प की है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसमें दोनो पक्ष प्रकरण लोक-अदालत में रेफर करने हेतु सहमत होना वर्णित किया गया है। फिर 17 मई 2018 को प्रकरण न्याय आपके द्वारा कैम्प कोलू राठौड में पेश होना, राजीनामा नहीं होने से मामला नियमित कोर्ट में पेश होने बाबत लिखा गया। मगर कोई पेशी की तारीख नहीं दी गयी। इसके बाद 17 जुलाई 2018 की आदेशिका में प्रतिवादी अनुपस्थित दर्शाते हुए प्रकरण की बहस सुनी जाना, निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जाना वर्णित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस आदेशिका के नीचे अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या अन्य किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। अंत में विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात में वादिनी-रेस्पो. के ससुर धूडसिंह का जो हिस्सा बनता है, उसमें वादिनी-रेस्पो. संख्या एक के स्वर्गवासी पति सहित उनके तीनों पुत्रों का समान हक-हिस्सा विरासत के आधार पर बनता है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर पिता के जीवनकाल में किसी पुत्र का निधन हो जाए तो पिता की सम्पत्ति में उसका कोई हक-हिस्सा नहीं रहता। आलौच्य प्रकरण में वादिनी-रेस्पो. के पति का देहान्त हुआ, उस समय उनके प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी वादिनी मौजूद थी और ऐसी स्थिति में वादिनी-रेस्पो. के पति हरिसिंह का अपने पिता की जीवनकाल में देहान्त हो जाने के उपरान्त भी धूडसिंह के हिस्से में हरिसिंह के वारिसान का भी विरासत के आधार पर हक बनता है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर उपलब्ध आदेशिकाओं से पाया जाता है कि इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है और वाद विचारण का दैनन्दिन कार्य भी सुचारू रूप से किया जाना नहीं पाया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रकरण में 3 मई 2018 की आदेशिका में आगे तारीख-पेशी 17 मई 2018 मुकर्रर किये जाने के बाद 30 अप्रेल 2018 की आदेशिका, जिसमें दोनो पक्ष प्रकरण लोक-अदालत में रेफर करने हेतु सहमत होना वर्णित किया गया है, नहीं लिखी जाती और न ही दिनांक 17 मई 2018 की आदेशिका, जिसमें प्रकरण न्याय आपके द्वारा कैम्प कोलू राठौड में पेश होना, राजीनामा नहीं होने से मामला नियमित कोर्ट में पेश होने बाबत लिखा गया, में आगे कोई पेशी की तारीख नहीं दी गयी, लिखी जाती। 17 जुलाई 2018 की आदेशिका भी उल्लेखनीय है, जिसमें प्रतिवादी की अनुपस्थित दर्शाते हुए प्रकरण की बहस सुनी जाना, निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जाना वर्णित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस आदेशिका के नीचे अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या अन्य किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। इन आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2018 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि रेस्पो. संख्या एक व दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः नये सिरे से नियमानुसार 3 माह की अवधि में निर्णय पारित किया जावे। चूंकि वादिनी-रेस्पो. द्वारा मूल वाद की कार्यवाही के दौरान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र पेश कर रेस्पो. संख्या तीन के खिलाफ कोई अनुतोष वांछित नहीं होना जाहिर करते हुए उसके खिलाफ दावा प्रत्याहरित किया जा चुका है। लिहाजा रेस्पो. संख्या तीन नारायणसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत का नाम प्रकरण से विलोपित करते हुए शेष उभय पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06 नवम्बर 2019 को उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/X/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर